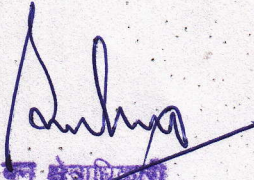


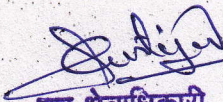
परियोजना का नाम:- स्यालब-सुकण पेयजल योजना

100

लीज अवधि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि को 15 वर्षों की लीज पर प्रस्तावक विभाग को दिये जाने की संस्तुति की जाती है।


वन क्षेत्राधिकारी
कुथनौर रेंज-गंगाजी


वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण शाखा, स्यालब पेयजल
संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
उत्तरकाशी


वन प्रभागीय वनाधिकारी
स्यालब पेयजल
बड़कोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट